



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 228 राँची, मंगलवार,

18 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

29 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-68/2018-19876 (HRMS)--श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला-प० सिंहभूम), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-432/स्था०, दिनांक-05.07.2018 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री लागुरी के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1- प्राथमिक जाँच से स्पष्ट है कि श्री भोलानाथ लागुरी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के पद पर रहते हुए कुल 28 (अठाईस) बैंक अन्तरण द्वारा कुल 2,56,00,000 (दो करोड़ छप्पन लाख) रुपये की अनधिकृत निकासी की गई। उप विकास आयुक्त, चतरा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि दिनांक 02.11.2017 के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा/ District Welfare Officer, Chatra के नाम से बारह बैंक खाते 01. आई०सी०आई०सी०आई० बैंक चतरा, 02. एक्सिस बैंक चतरा, 03. युनियन बैंक चतरा, 04. झारखण्ड ग्रामीण बैंक, चतरा, 05 एच०डी०एफ०सी० बैंक, चतरा 06 एस०बी०आई०, चतरा (खाता संख्या-11475685163) 07. कैनरा

बैंक, चतरा 08. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, चतरा 09 इलाहाबाद बैंक, चतरा 10. आई०डी०बी०आई०, चतरा, 11. बैंक ऑफ इण्डिया, चतरा 12. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, चतरा में संचालित किये जा रहे थे। दिनांक 02.11.2017 के अग्नि कांड के पश्चात तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा श्री आशुतोष कुमार द्वारा मात्र तीन बैंक 01. आई०डी०बी०आई०, चतरा, 02 बैंक ऑफ इण्डिया, 03 भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के अन्त शेष के आधार नया रोकड़ पंजी प्रारम्भ किया गया और अन्य बैंक खाते एवं उसमें संधारित राशि को गुप्त रखते हुए अनाधिकृत निकासी की गई। दिनांक 01.12.2017 को श्री भोलानाथ लागुरी द्वारा श्री आशुतोष कुमार से जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा का पद ग्रहण किया गया। दिनांक 11.02.2015 से दिनांक 21.11.2016 तक जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा होने के नाते उनके संज्ञान में था कि दिनांक 02.11.2017 के पूर्व से ही बारह बैंक संचालित थे। दिनांक 02.11.2017 को प्रभार ग्रहण के पश्चात रोकड़ पंजी में अंकित बैंक खातों के अतिरिक्त पूर्व के बैंक खातों के बंद होने के पुष्टि नहीं की गई और श्री आशुतोष कुमार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता एवं छलपूर्ण निकासी को जारी रखा गया। श्री लागुरी द्वारा इस कृत्य से पूर्व की वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य को छुपाया गया और वर्तमान में वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि का छलपूर्ण निकासी की गई। श्री लागुरी का यह कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता, गलत दस्तावेज तैयार करने तथा साक्ष्य छुपाने और सरकारी राशि का गबन में संलिप्तता का कृत्य है।

आरोप सं०-2- झारखण्ड ग्रामीण बैंक, चतरा के खाता संख्या-302210100001145 से वृहद सरकारी राशि व्यक्तिगत खातों में सहित विशेष संस्थाओं को जिनमें CENWORD, PRAYAS नाजीर श्री इन्द्रदेव प्रसाद के व्यक्तिगत खातों में वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए राशि अन्तरित की गई। इसके उपरान्त श्री भोलानाथ लागुरी द्वारा पत्रांक-237/जि०क० दिनांक 04.05.2018 के द्वारा इस खाते को बंद कराने का आदेश बैंक प्रबंधक को दिया गया। उपर्युक्त बैंक खाता एवं राशि के अन्तरण का ब्यौरा रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं है। श्री भोलानाथ लागुरी का यह कृत्य सरकारी राशि की छलपूर्ण निकासी एवं विभागीय निदेशों का उल्लंघन है।

आरोप सं०-3- दिनांक-17.04.2018 को श्री लागुरी द्वारा आई०डी०बी०आई० बैंक, चतरा के चेक संख्या-009252 और 009253 श्री इन्द्रदेव प्रसाद एवं CENWORD एन०जी०ओ० को भुगतान के लिए हस्ताक्षरित किया गया। CENWORD एन०जी०ओ० को जिला कल्याण कार्यालय, चतरा द्वारा कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया था। शाखा प्रबंधक, हजारीबाग द्वारा हस्ताक्षर से संतुष्ट होने के पश्चात् राशि नाजीर, श्री इन्द्रदेव प्रसाद एवं CENWORD एन०जी०ओ० के खाते में अन्तरित कर दी गई। आई०डी०बी०आई० बैंक, चतरा में छात्रवृत्ति की राशि लाभुक छात्रों को DBT/PFMS के माध्यम से अन्तरित करने के लिए संधारित की जाती है, परन्तु छात्रवृत्ति की राशि को उक्त चेकों द्वारा निजी व्यक्ति/संस्था को अन्तरित कर दी गई। शाखा प्रबंधक आई०डी०बी०आई० बैंक, चतरा द्वारा सूचित करने पर चेक की राशि नाजीर श्री इन्द्रदेव प्रसाद एवं CENWORD की सचिव, श्रीमती सुनीता देवी के बैंक खाते से वापस की गई। छात्रवृत्ति राशि को निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तान्तरित करना विभागीय निदेश का उल्लंघन एवं गंभीर अनियमितता है।

आरोप सं०-4- दिनांक 17.04.2018 को आई०डी०बी०आई० बैंक, चतरा के चेक संख्या- 009252 और 009253 के संबंध में श्री लागुरी द्वारा गलत सूचना दी गई कि चेक सिरीज 009251 से 009300 कार्यालय को प्राप्त नहीं है। परन्तु शाखा प्रबंधक, आई०डी०बी०आई० बैंक, चतरा के प्रतिवेदन से उक्त चेक सिरीज जिला कल्याण कार्यालय, चतरा को प्राप्त होने की पुष्टि होती है। श्री लागुरी का यह कृत्य मिथ्या भाषण करने और वरीय पदाधिकारियों को भ्रमित करने का द्योतक है ।

आरोप सं०-5- श्री लागुरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि CENWORD नामक संस्था द्वारा जिला कल्याण शाखा, चतरा में कार्य नहीं किया गया, परन्तु श्री लागुरी द्वारा झारखण्ड ग्रामीण बैंक, चतरा एवं युनियन बैंक, चतरा से लगातार इस संस्था को सरकारी राशि अन्तरित की गई। स्पष्ट है कि सरकारी योजना मद में प्राप्त राशि का विचलन करते हुए फर्जी संस्थाओं को राशि उपलब्ध कराकर लाभ पहुँचाया गया। श्री लागुरी का यह कृत्य सरकारी राशि का विचलन, मिथ्या भाषण एवं सरकारी राशि का अपहानि कर गबन में संलिप्तता का कृत्य है ।

आरोप सं०-6- विभिन्न फर्जी एजेन्सियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं यथा चतरा इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रयास सपोर्ट एवं अन्य को बिना अभिलेख संधारण किये सरकारी राशि दी गई। पूर्व में भी वरीय लेखा परीक्षा पदाधिकारी, प्रधान महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-SS143/2013-14 में अग्रिम राशि देने के संबंध में आपत्ति अंकित की गई है, उसके बावजूद उपरोक्त एन०जी०ओ० को वित्तीय नियमों को अनदेखी करते हुए राशि प्रदान कर दी गई है। बैंक स्टेटमेंट के फण्ड फ्लो से स्पष्ट है कि एजेन्सियों/संस्थाओं को अन्तरित राशि का प्रवाह नाजीर एवं उनके परिवार जनों के खातों में हुआ है। श्री लागुरी का यह कृत्य सरकारी राशि की अपहानि एवं सरकारी राशि के गबन में संलिप्तता को दर्शाता है और यह कृत्य झारखण्ड वित्तीय नियमावली एवं झारखण्ड कोषागार संहिता का उल्लंघन है ।

आरोप सं०-7- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की हैसियत से श्री भोलानाथ लागुरी द्वारा जिला कल्याण कार्यालय, चतरा के संधारित बैंक खातों का मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जाना था, जिसका निर्वहन नहीं किया गया। श्री लागुरी द्वारा रोकड़ पंजी का मासिक एवं वार्षिक लेखा बंदी भी नहीं की गई। बैंक विवरणी एवं रोकड़ पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बड़ी सरकारी राशि के अन्तर के बावजूद श्री लागुरी द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। श्री लागुरी का यह कृत्य वित्तीय नियमावली का उल्लंघन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने और छलपूर्ण निकासी की मंशा को दर्शाता है ।

आरोप सं०-8- श्री आशुतोष कुमार द्वारा दिनांक 02.11.2017 में अग्निकांड में रोकड़ पंजी एवं चेकबुक जलने की सूचना वरीय पदाधिकारियों को नहीं दी गई। दिनांक 02.11.2017 के बाद मात्र तीन बैंक खातों के अन्त शेष के आधार पर श्री आशुतोष कुमार द्वारा नया रोकड़ पंजी संधारित किया गया तथा 09 (नौ) अन्य बैंक खाता एवं उसमें संधारित राशि की सूचना को छुपाया गया। श्री लागुरी द्वारा दिनांक 01.12.2017 को श्री आशुतोष कुमार से प्रभार ग्रहण करने के उपरान्त भी इस तथ्य को प्रकाश में नहीं लाया गया तथा वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि की गबन की मंशा से दिनांक 02.11.2017 के पूर्व से प्राप्त चेकबुक का प्रयोग कर सरकारी राशि का छलपूर्ण निकासी की गई। श्री भोलानाथ लागुरी का यह कृत्य गलत दस्तावेज तैयार करने में सहयोग करने, साक्ष्य छुपाने तथा पदीय कर्तव्य निर्वहन नहीं करने का कृत्य है ।

आरोप सं०-9- बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को सरकारी राजकोष के वापसी शीर्ष में जमा कराने का विभागीय निदेश प्राप्त होने के बावजूद श्री भोलानाथ लागुरी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि को बिना अनुमति के आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय किया जाना वित्तीय नियमावली के अनुकूल नहीं है, परन्तु श्री भोलानाथ लागुरी द्वारा स्वेच्छाचारिता बरतते हुए बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को चेक के माध्यम से निजी व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए निकासी कर ली गई जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

उक्त आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-1069 (HRMS), दिनांक 25.07.2018 द्वारा श्री लागुरी को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-6384, दिनांक-23.08.2018 द्वारा श्री लागुरी से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री लागुरी के पत्र, दिनांक 22.01.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मामले के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2567(HRMS), दिनांक 06.06.2019 द्वारा श्री लागुरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-315, दिनांक 28.11.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री लागुरी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में निम्नांकित निष्कर्ष अंकित किया गया-

आरोप सं०-1- आरोपी के द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने अर्थात् प्रभार ग्रहण करते समय बैंक खातों का सत्यापन सही ढंग से नहीं करने एवं चेक बुकों का अभिरक्षण नियमानुसार नहीं करने के फलस्वरूप एन०जी०ओ० Cenword एवं प्रयास नामक संस्था को अवैध रूप से राशि का अंतरण संभव हो सका। लगभग 1,31,34,895/- रु० की सरकारी की क्षति के लिए आरोपी निश्चित रूप से जिम्मेवार प्रतीत होते हैं। आरोपी के विरुद्ध यह आरोप आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-2- उपायुक्त, चतरा के द्वारा प्रभार आदान-प्रदान करने संबंधी आदेश निर्गत करने के बावजूद भी दिनांक 23.04.2018 से 01.05.2018 तक झारखण्ड ग्रामीण बैंक, चतरा से आरोपी के द्वारा कुल 43,38,000/- ₹0 Cenword नामक संस्था को अनियमित रूप से भुगतान होने की बात सही प्रतीत होती है। आरोपी के विरुद्ध यह आरोप आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-3- चेक पर अंकित हस्ताक्षर बैंक में संधारित हस्ताक्षर से मिलान करने पर ही बैंकों के द्वारा चेक का भुगतान किया जाता है। इसलिए सामान्य तौर पर आरोपी का यह कथन विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता है कि उक्त चेकों पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था। आरोपी के विरुद्ध यह आरोप आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-4- बैंक प्रबंधक, आई०डी०बी०आई०, चतरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त दोनों चेक की श्रृंखला को स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला कल्याण कार्यालय, चतरा को प्राप्त कराया गया था एवं साक्ष्य के रूप में सब पोस्ट मास्टर, एम०डी०जी०, चतरा के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं डिलेवरी स्लीप की छायाप्रति संलग्न की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त चेक से संबंधित चेक बुक दिनांक 15.11.2017 को डी०डब्ल्यू०ओ० कार्यालय, चतरा में प्राप्त कराया गया था। आरोपी के विरुद्ध यह आरोप तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-5- आरोपी के द्वारा अपने कर्तव्य प्रति सजग नहीं रहने के कारण Cenword संस्था को बिना कार्य कराये चेक निर्गत होने के कारण सरकार को एक बड़ी राशि की क्षति हुई, जिसके लिये आरोपी कहीं न कहीं जिम्मेवार है। अतः यह आरोप सही प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-6- आरोपी के विरुद्ध संस्थाओं को अग्रिम देने एवं चतरा इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सर्पोट एवं अन्य को बिना अभिलेख संधारित किये सरकारी राशि देने का आरोप सही नहीं प्रतीत होता है, किन्तु प्रयास संस्था को आरोपी के दूसरे कार्यकाल में बिना अभिलेख संधारित किये राशि भुगतान करने का आरोप सही प्रतीत होता है। अतः यह आरोप आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है।

आरोप सं०-7- आरोप सही प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-8- आरोप सही प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-9- आरोप सही प्रतीत होता है ।

श्री लागुरी के विरुद्ध आरोप, उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-473, दिनांक 24.01.2020 द्वारा श्री लागुरी से

द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री लागुरी के पत्र, दिनांक 29.05.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें उनके समर्पित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है- (i) संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या-16 में निष्कर्ष दिया गया है कि “आरोपी के बचाव-बयान में एन०जी०ओ० Cenword संस्था के नाम से निर्गत चेकों की विवरणी क्रम संख्या-1 से 15 तक दी गई है। उक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि Cenword संस्था के नाम से निर्गत 15 चेकों में 03 चेक आई०डी०बी०आई० बैंक, चतरा, 02 चेक यूनियन बैंक, चतरा एवं 01 चेक झारखण्ड ग्रामीण बैंक, चतरा से संबंधित है। अग्नि कांड के बाद आरोपी को यूनियन बैंक, चतरा एवं झारखण्ड ग्रामीण बैंक, चतरा के बैंक खाता का प्रभार नहीं दिया गया था। “अतः जब उन्हें उक्त दो बैंकों का प्रभार ही नहीं दिया गया था तो फिर दोनों बैंकों के खाता से किसी भी तरह का भुगतान उनके द्वारा कैसे संभव है। उनके द्वारा Cenword संस्था को भुगतान नहीं किया गया है।

(ii) जब झारखण्ड ग्रामीण बैंक, चतरा के खाते का प्रभार ही नहीं दिया गया था, इसलिए संबंधित खाते से वृहद् सरकारी राशि व्यक्तिगत खातों सहित विशेष संस्थाओं के खातों में वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए राशि अंतरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(iii) मामले के संज्ञान में आने के बाद उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की गई। साथ ही उच्चाधिकारी को सम्पूर्ण विषयवस्तु से अवगत कराया गया, तथापि उन्हें ही आरोपी बनाया जाना तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है।

(iv) आरोप संख्या-6 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा पृष्ठ संख्या-19 में निष्कर्ष दिया गया कि “उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आरोपी के विरुद्ध संस्थाओं को अग्रिम देने एवं चतरा इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सपोर्ट एवं अन्य को बिना अभिलेख संधारित किये सरकारी राशि देने का आरोप सही नहीं प्रतीत होता है।”

(v) बैंक खाता के मासिक बैंक समाधान करने संबंधी आवश्यक निर्देश नाजिर एवं प्रधान सहायक को दिया गया था। श्री लागुरी द्वारा जान-बूझकर इसकी अनदेखी नहीं की गयी है।

श्री लागुरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि उक्त फर्जी चेकों की फॉरेंसिक जाँच के लिए उनके द्वारा सक्षम पदाधिकारियों को लिखित अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड एवं पुलिस अधीक्षक, चतरा से उनके स्मार पत्रों द्वारा श्री लागुरी के पत्र पर की गई कृत कार्रवाई की सूचना की माँग की गयी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, चतरा के पत्रांक-1984/अप0शा0, दिनांक 01.05.2022 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि संबंधित मामले में दर्ज सदर थाना कांड सं०-165/2018 में प्राथमिकी अभियुक्त 1. श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी) एवं 2. श्री आशुतोष

कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध विधि विभाग के आदेश सं०-22/जे०, दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अभियुक्त भोला नाथ लागुरी को गिरफ्तार करने का हरसंभव प्रयास किया गया है तथा फिरार रहने की स्थिति में माननीय न्यायालय से निर्गत इस्तेहार को वापस करते हुए कुर्की-जप्ती प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय में दिनांक 07.03.2022 को प्रतिवेदन दिया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त श्री भोला नाथ लागुरी एवं श्री आशुतोष कुमार का विभिन्न चेकों पर मूल हस्ताक्षर की प्रति प्राप्त कर फॉरेंसिक जाँच निदेशक केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकता से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु अनुसंधानकर्त्ता-सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमरिया के द्वारा माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग के पास प्राथमिकी अभियुक्त भोला नाथ लागुरी एवं आशुतोष कुमार द्वारा कल्याण विभाग से निर्गत विभिन्न चेकों पर किये गये हस्ताक्षर एवं दोनों के मूल हस्ताक्षर से मिलान हेतु माननीय विशेष न्यायाधीश से आदेश प्राप्त कर प्रदर्श को दिनांक 10.12.2021 को सील बन्द कराया गया तथा केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला कोलकता (प० बंगाल) को जप्त प्रदर्श (नमूना) हस्ताक्षर मिलान हेतु दिनांक 15.12.2021 को प्राप्त कराया गया है। निदेशक, केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकता का No. CFSLKOL/1431/QD/456/21/1093 Date 14.03.2022 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि जाँच प्रक्रियाधीन है, जाँच पूर्ण होने पर जाँच प्रतिवेदन भेजी जाएगी। वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है ।

इसी क्रम में, श्री लागुरी के पत्र, दिनांक 06.04.2022 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में उनके द्वारा दायर वाद सं०-W.P.(S) 4643/2021with I.A. No.1834/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पारित न्यायादेश में वादी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को न्यायादेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दो माह के अंदर निष्पादित करने का आदेश पारित किया गया है। निर्धारित अवधि के अंदर विभागीय कार्यवाही पूर्ण न करने पर वादी के विरुद्ध निर्गत निलंबन अधिसूचना सं०-1069, दिनांक 25.07.2018 स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

मामले की समीक्षोपरांत, श्री लागुरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत इन्हें सेवा से बर्खास्त करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-3663, दिनांक 16.06.2022 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से श्री लागुरी को सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया, जिस पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-4178, दिनांक 08.12.2022 द्वारा श्री लागुरी को सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर सहमति प्रदान की गयी है ।

तत्पश्चात्, दिनांक 15.03.2023 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री भोलानाथ लागुरी, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव मद सं0-28 के रूप में सम्मिलित किया गया एवं स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री भोलानाथ लागुरी, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत इन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BHOLA NATH LAGURI 110091197637	श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला-प० सिंहभूम), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
